न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-331RAAJodhpur2022-203RTA225 Ramuram ors Vs Dhokalram etc

01. रामुराम पुत्र श्री नवलाराम
02. पदमाराम पुत्र श्री केहराराम
03. बिडदाराम पुत्र श्री कानाराम
04. रतनाराम पुत्र श्री उरजाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम डउकियों का बास, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. धोकलराम पुत्र श्री राजुराम
02. हिमताराम पुत्र श्री राजुराम
03. अमानाराम पुत्र श्री राजुराम
04. जेठाराम पुत्र श्री लाबुराम
05. बगताराम पुत्र श्री लाबुराम
06. किशनाराम पुत्र श्री लाबुराम
07. मोहनराम पुत्र श्री रामुराम
08. भंवरूराम पुत्र श्री रामुराम
09. भींयाराम पुत्र श्री रामुराम
10. भानाराम पुत्र श्री रामुराम
11. ओमाराम पुत्र श्री आदुराम
12. अणची पत्नी आदुराम
13. मुकेश पुत्र श्री आदुराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती अणची

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- डउकियों का बास, चैराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 239/2022 रामूराम व अन्य बनाम धोकलराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. चौदह

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 239/2022 अनवान रामराम व अन्य बनाम धोकलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2959 रकबा 1.8777 हैक्टेयर ग्राम डउकियों का बास के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से अस्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि खेत खसरा नं. 2959 के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि को उपयोग-उपभोग

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार अपीलार्थीगण को प्राप्त है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रत्यर्थीगण पत्थरगढी की आड़ में मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते है तथा अपीलार्थीगण को मौके से बेदखल करना चाहते है। यदि वे अपने इस उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी फरमायी किया जाना नामुकिन होगा। अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपीलार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित किया गया है। मौके पर अपीलार्थीगण काबिज है। प्रत्यर्थीगण को भूमि के कब्जे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा पत्थरगढी के आदेश में अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, इसलिए वे अपना पक्ष नहीं रख सके। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं वाद के लंबित रहने तक विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या सात के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 19.05.2022 की पालना में वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवा ली गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा मिथ्या कथनों के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं से खारिज फरमायी जावे।

16.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 2929 के रेकर्डेड खातेदार है तथा अपीलांट्स की खातेदारी खसरा नं. 2959 एवं रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2957 तरमीम सुदा होकर पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध है। वकील रेस्पोडेंट के कथनानुसार एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की फोटो प्रति मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पत्थरगढी की अपील को खारिज किया जा चुका है तथा मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष में परस्पर दखलंदाजी न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2022 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से मामले

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2959 रकबा 1.8777 हैक्टेयर वाके मौजा डउकियों का बास तहसील तिंवरी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.24

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर